

-1-

कैंटीन संचालन हेतु निविदा फार्म एवं शर्तें कार्यालय की सील
रसीद नंबर

--:: निविदा फार्म ::--

प्रथम पक्ष

निविदाकर्ता
का नाम

पता

ई-मेल

मोबाइल.....

द्वितीय पक्ष

जिला रजिस्ट्रार,
कार्यालय—जिला एवं सत्र न्यायालय, कटनी म0प्र0

जिला न्यायालय परिसर, कटनी स्थित कैंटीन के संचालन हेतु निविदाकर्ताओं से वित्तीय वर्ष 2018-19 (01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 समयावधि) हेतु निम्न निर्धारित शर्तों के अध्यधीन निविदारें आमंत्रित की जाती हैं:-

॥ निर्धारित शर्ते ॥

1. निविदा अनुबंध हेतु सीलबद्ध निविदारें दिनांक 23.03.2018 के सायकाल 5:00 बजे तक स्वीकार की जावेगी। इसके पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
2. अनुज्ञा शुल्क कटनी न्यायालय स्थित कैंटीन हेतु रूपये 5,000/- प्रतिमाह की दर से निर्धारित होगा, जो प्रथम पक्ष अनुबंध निष्पादन के पूर्व वित्तीय वर्ष 2018-19 (1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 समयावधि) हेतु बारह माह की 5000 x 12 = 60,000रु0 (साठ हजार रुपये) में से 30,000/-रु (तीस हजार रुपये) की राशि अग्रिम के रूप में द्वितीय पक्ष को अदा करेंगे और शेष 30,000/- रु0 की राशि अनुबंध प्रारम्भ होने के 3 माह उपरात अदा करेंगे।
3. निविदाकर्ता एवं द्वितीय पक्ष अनुबंध एक वर्ष के लिये सम्पादित किया जायेगा। अनुबंध अनुसार कैंटीन संचालन की एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर संचालन की अवधि में एक वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। इस हेतु प्रथम पक्ष द्वारा अधिकतम बोली की राशि जो निर्धारित की गई है, उस राशि के अतिरिक्त उक्त राशि पर 10 प्रतिशत राशि अतिरिक्त रूप से द्वितीय पक्ष को अदा करनी होगी एवं अनुज्ञा शुल्क की राशि उपरोक्तानुसार जिला कटनी स्थित कैंटीन हेतु एक मुश्त जमा करनी होगी। कैंटीन संचालन हेतु अतिरिक्त रूप से एक वर्ष की वृद्धि घाहने पर निविदाकर्ता को अनुबंध समाप्त होने के दिनांक से एक माह पूर्व आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार द्वितीय पक्ष का होगा।
4. अनुबंध अनुसार अवधि पूर्ण होने के पूर्व यदि प्रथम पक्ष द्वारा कैंटीन का संचालन बन्द किया जाता है तो निविदाकर्ता को उसके द्वारा जमा की गई कोई राशि लौटायी नहीं जावेगी।
5. निविदाकर्ता को निविदा फार्म के साथ रूपये 35,000/- (पैंतीस हजार) की अमानत राशि जिला न्यायाधीश, कटनी को देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत करना होगी। सफल निविदाकर्ता के अतिरिक्त शेष निविदाकर्ताओं को उक्त अमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट लौटा दिया जायेगा, किन्तु सफल निविदाकर्ता की उक्त राशि निविदाकर्ता और जिला न्यायाधीश कटनी के सम्बन्ध में उल्लंघन किये जाने पर समिति द्वारा सम्भृत की जा सकती है।
6. सफल निविदाकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत एक०डी०आर० अनुज्ञा अवधि की समाप्ति पर प्रथम पक्ष को वापिस की जावेगी। जिस पर कोई व्याज देय नहीं होगा, परन्तु सावधि पर अर्जित बैंक व्याज प्रथम पक्ष प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
7. प्रथम पक्ष द्वारा कैंटीन संचालन हेतु प्रथम एक वर्ष के लिये राशि रूपये अक्षरी रु0 की अधिकतम बोली प्रस्तावित की जाती है।
8. जिस निविदाकर्ता की अधिकतम बोली अतिम रूप से मान्य होगी, उसे निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक को या उसके पूर्व बोली की निर्धारित राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी तथा शेष 50 प्रतिशत राशि अनुबंध दिनांक से ठीक ४ माह पूर्ण होने के 15 दिवस पूर्व जमा करनी होगी अन्यथा अनुबंध निरस्त करने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

लगातार 2.....

09. अधिकतम ढाँती की प्रस्तावित की गई राशि अनुत्तिम होने की स्थिति में केंटीन सचालन के पूर्व वार्षिक अग्रिम के रूप में अदा करना होगी। अन्यथा निविदा शर्तों का उल्लंघन होने से अनुबंध निरस्त किया जाकर प्रथम पक्ष को केंटीन सचालन हेतु रोक दिया जावेगा।
10. अनुबंध की शर्तों का प्रथम पक्ष द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उल्लंघन करने की दशा में अथवा अन्यथा स्थिति निर्मित होने पर बिना किसी सूचना के केंटीन अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा एवं धरोहर राशि शासन हित में राजसत की जा सकेगी। जिसका कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।
11. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के आदेशानुसार या अन्यथा जिला न्यायाधीश द्वारा अनुज्ञा शर्तों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकेगा जिसका निविदाकर्ता को पालन करना अनिवार्य होगा।
12. केंटीन के सचालन अथवा अनुज्ञा की शर्तों के संबंध में किसी भी प्रकार विवाद होने पर, विवाद का निराकरण जिला न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा। जिसका निर्णय/अवार्ड अनुत्तिम एवं बंधनकारी होगा।
13. निविदाकर्ता ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शासकीय संपत्ति को क्षति करित हो अन्यथा अनुज्ञा समाप्त की जा सकेंगी।
14. निविदाकर्ता केंटीन सचालन के दौरान प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई विधिविरुद्ध गतिविधि सचालित नहीं करेगा अन्यथा निविदाकर्ता के विरुद्ध विधिवत कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
15. प्रथम पक्ष या उसके कर्मचारी किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों हेतु केंटीन परिसर का उपयोग नहीं करेंगे और न ही करने देंगे और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से केंटीन परिसर में किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधियां में सलिल्प होने पर केंटीन का अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।
16. समय-समय पर द्वितीय पक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा केंटीन का निरीक्षण किया जा सकेगा।
17. निविदाकर्ता केंटीन का सचालन न्यायालयीन कार्य दिवस में एवं समय-समय पर द्वितीय पक्ष के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार करेगा तथा लोक अदालत आदि के विशेष अवसरों पर केंटीन का आवश्यक रूप से सचालन किया जायेगा।
18. निविदाकर्ता केंटीन के सचालन के दौरान उन्हें आवंटित स्थान में किसी भी प्रकार का स्थायी निर्माण/संरचना नहीं किया जायेगा। निविदाकर्ता द्वारा केंटीन सचालन में ऐसा अस्थायी निर्माण जो कि व्यवसाय के सचालन में आवश्यक है, पूर्व में जिला न्यायाधीश को प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुये अनुमोदित करवाने के उपरांत ही कर सकेंगे, जो शासकीय संपत्ति को क्षति करित करने वाला न हो। किन्तु कारणों से यदि द्वितीय पक्ष अस्थाई निर्माण को हटाने का आदेश देगा तो निविदाकर्ता अपने अस्थाई निर्माण को स्वयं के व्यय पर हटायेगा।
19. निविदाकर्ता केंटीन में मानक के अनुसार खाद्य सामग्री विक्रय करेगा तथा व्यवसायिक गैस सिलेंडर का उपयोग कर अन्य सुरक्षात् विधि जैसे श्रमविधि आदि के प्रावधानों का पालन करेगा।
20. निविदाकर्ता केंटीन का पृथक से विद्युत संयोजन प्राप्त कर निर्धारित अवधि में विद्युत देयक का भुगतान करेगा तथा समस्त प्रकार के 'करो' का भुगतान करेगा।
21. कमांक 15.16 एवं 17 से संबंधित उल्लंघन के संबंध में या अन्यथा किसी भी आपराधिक कृत्य हेतु उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का ही रहेगा। द्वितीय पक्ष उसके तिये किसी भी रूप से उत्तरदायी नहीं होगा।
22. निविदाकर्ता द्वारा खाद्य सामग्री विक्रय की दरें द्वितीय पक्ष से अनुमोदित करवाई जावेगी तथा अनुमोदित दरों पर ही मानक स्तर की खाद्य सामग्री विक्रय की जावेगी। निविदाकर्ता न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारण को (ब्रॉडल प्रोडक्ट को छोड़कर) अनुमोदित दरों से 20 (बीस) प्रतिशत कम मूल्य पर खाद्य सामग्री विक्रय करेगा।
23. विक्रय योग्य वस्तुओं की दरे केंटीन परिसर के सदृश्य भाग पर प्रदर्शित करने का उत्तरदायित्व भी प्रथम पक्ष का होगा।
24. निविदाकर्ता केंटीन तथा आसपास के परिसर को पूर्णतः स्वच्छ रखेगा अन्यथा द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रतिदिवस एक सौ रुपये की दर से शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।
25. निविदाकर्ता अनावश्यक रूप से केंटीन बंद नहीं रखेगा अन्यथा द्वितीय पक्ष के द्वारा 500/- प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।
26. केंटीन के सचालन में व्यवधान आने की स्थिति में द्वितीय पक्ष का कोई दायित्व नहीं रहेगा। निविदाकर्ता निविदा फार्म भवन के नक्शे में न्यायालय परिसर में नियत स्थान पर केंटीन सचालन हेतु दिया जावेगा। निविदाकर्ता निविदा फार्म जमा करने से पूर्व केंटीन के स्थान का अवलोकन आवश्यक रूप से कर लेवें।

28. केंटीन जिला न्यायालय द्वारा अनुमोदित समय सामान्यतः प्रातः 8:00 बजे से सायकाल 6:30 बजे तक ही चलायी जावेगी तथा न्यायालयीन सुरक्षा और अनुशासन का निविदाकर्ता को पूर्ण पालन करना होगा।
29. अनुबंध अदायि में विद्युत तथा जल संयोजन हेतु अनुमति पक्ष कमाक-2 द्वारा नियमानुसार दी जा सकेगी जिसका व्यय निविदाकर्ता को ही वहन करना होगा।
30. सफल निविदाकर्ता द्वारा केंटीन परिसर स्वयं के व्यय पर रगरोगन, मरम्मत फर्नीशिंग आदि कार्य समय-समय पर किया जावेगा।
31. निविदा के साथ निविदाकर्ता के अनुभव संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि कोई हो) प्रस्तुत किये जायेंगे। उक्त अनुभव आदि को समिति द्वारा अतिरिक्त योग्यता मानते हुये प्राधिक्रिया दी जा सकेगी।
32. सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा फार्म में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन किये जाने संबंधी अनुबंध निर्धारित प्रारूप पर उचित स्टाम्प ड्यूटी पर स्वयं के व्यय से निष्पादन किया जायेगा।
33. समिति द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले या पूर्व में शर्तों का उल्लंघन करने/विवाद करने वाले या अन्यथा अभिभाषकों/न्यायालयीन कर्मचारियों, पक्षकारों आदि से विवाद करने वाले व्यक्तियों को निविदा कार्यवाही में भाग लिये जाने से अयोग्य घोषित किया जा सकेगा। उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जा सकेगा। निविदा निरस्त की जा सकेगी।
34. कायोलय जिला न्यायालय, कटनी द्वितीय पक्ष को यह अधिकार रहेगा कि वह निविदा की घोषित की गई शर्तों में से किसी शर्त को परिवर्तित/परिवर्धित अथवा रद्द कर सकता है।

निविदाएँ दिनांक 24.03.2018 को सायकाल 5:00 बजे कमेटी द्वारा खोली जावेगी। जिसमें निविदाकर्ता उपस्थित रह सकते हैं।

मुझे निविदा की समस्त शर्तें स्वीकार हैं।

हस्ताक्षर
(द्वितीय पक्ष)

संलग्न:- 01. केंटीन संचालन हेतु दर की सूची।
02. केंटीन नक्शा।


कैन्टीन संचालन हेतु दर

क्र0	खाद्य सामग्री का नाम चाय	मात्रा / तादात प्रति कप 50 मि. ली.	कीमत 5 रुपये	रिमार्क
01	काफी	प्रति कप 50 मि. ली.	7 रुपये	
03	आलूबंडा	प्रति नग 50 ग्राम	5 रुपये	
04	समोसा एवं भाजीबडा	प्रति नग 50 ग्राम	5 रुपये	
05	कचोरी	प्रति नग 50 ग्राम	7 रुपये	
06	इडली / सोभर / दहीबडा	प्रति नग वजन 60 ग्राम 2 इडली प्रति नग वजन 50 ग्राम, 2बडा	15 रुपये	
07	पोहा	प्रति प्लेट 100 ग्राम	10 रुपये	
08	भजिया / मंगौडी	प्रति प्लेट 80 ग्राम	10 रुपये	
09	जलेबी	प्रति प्लेट 80 ग्राम	10 रुपये	
10	बालूशाही / गुलाब जामुन	प्रति नग 80 ग्राम	10 रुपये	
11	लड्डू (बूंदी व मगज)	प्रति नग 60 ग्राम	5 रुपये	
12	दोपहर का भोजन 1. सब्जी एक 2. दाल 3. चावल 4. रोटी चार	प्रति थाली कुल वजन 400 ग्राम लगभग	40 रुपये	
13	सब्जी एक 6 पूँडी	प्रति पैकेट 200 ग्राम	20 रुपये	
14	लस्सी	प्रति गिलास 200 मि.ली.	20 रुपये	
15	सलोनी	80 ग्राम	10 रुपये	
16	बूंदी	80 ग्राम	10 रुपये	
17	रसगुल्ला	प्रतिनग 60 ग्राम	8 रुपये	
18	छाछ	प्रति गिलास 200 मि.ली.	10 रुपये	
19	पानी बॉटल	एक लीटर	प्रिन्ट रेट	
20	कोल्ड डिंक		प्रिन्ट रेट	
21	खोवा जलेबी	प्रतिनग 60 ग्राम	10 रुपये	

उक्त सामग्रीयों के अलावा प्रथम पक्ष/कैन्टीन संचालक केंटीन में पैक की हुई खाद्य सामग्री एवं पेय पदार्थ जिनमें कंपनी या निर्माता की ओर से कीमत निर्धारित की गई है उसे वह निर्धारित दर पर विक्रय कर सकेगा।

प्रथम पक्ष अन्य ऐसी खाद्य सामग्री जिसका उल्लेख उक्त सूची में नहीं है और वह खाद्य सामग्री को विक्रय करना चाहता है तो खाद्य सामग्री का मूल्य जिला न्यायाधीश महोदय के द्वारा निर्धारित किये जाने के उपरांत वह विक्रय कर सकेगा।

Line Plan of Canteen & Store at District Court Katni



Total Area -

$$\begin{aligned}
 \text{Hall} &= 25.45 \times 12.45 = 316.85 \text{ sq.m} \\
 \text{Kitchen} &= 6.10 \times 6.20 = 37.82 \text{ "} \\
 \text{Store} &= 3.10 \times 3.00 = 9.30 \text{ "} \\
 \text{Total} &= \underline{\underline{372.678 \text{ sq.m}}}
 \end{aligned}$$

Sub Engineer
 M/S Sartim Katni